न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

सुकर महतो वगै० बनाम रामेश्वर महतो वगै०

वाद संख्या –141 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11/11/23	आदेश अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा–मुन्डरो, थाना–बगोदर अंचल–बगोदर , जिला–गिरिडीह , खाता न०–105, प्लॉट न०–508, रकवा–80डी० मद्ये 28 डी०, चौहद्दी– उ०–नाला, द०–परती टोंगरी , पू०–मोती एवं धरम महतो, प०– मिठु महतो एवं किशुन महतो पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की उक्त भूमि प्रथम पक्ष की दादी श्रीमती पोतनी पति घुजा महतो के नाम से खरीदगी केवाला दिनांक 22.03.1973 को हासिल है एवं अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी– II के पेज संख्या 106 भाग संख्या 03 पर मसोमात पोतनी, पति–घुजा महतो का जमाबंदी दर्ज है एवं मालगुजारी रशीद निर्गत है उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष जोत–अबाद एवं खेती–बारी करते चले आ रहे है। प्रथम पक्ष अपने दावा के समर्थन में केवाला की छायाप्रति, राजस्व रशीद की छायाप्रति एवं ऑनलाइन पंजी–II की छायाप्रति दाखिल किये हैं। थाना प्रभारी बगोदर के द्वारा उक्त वाद की भूमि पर टकराव होने का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष सुनवाई के विभिन्न तिथियों को ना सिर्फ अनुपस्थित रहे बल्कि निषेधाज्ञा प्रवृत्त तथा प्रभावी रहने के संपूर्ण अवधि में कोई कारण पृच्छा प्रस्तुत नही किए ना ही उपस्थित हुए। उक्त परिस्थिति में प्रश्नागत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित किया जाना संभव नही है। साथ ही द0प्र0सं0 की धारा 144 में निषेधाज्ञा प्रवृत्त रहने की अवधि साठ दिनों की है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित, 11/11/23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। 11/11/23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:38:16 +05:30
Location: 192.168.1.3